



2026:AHC:178145

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8408 सन् 2026

फिरासत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अबरार अहमद सिद्दीकी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 71 सन् 2024, थाना सैयद राजा, जनपद चंदौली में उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5ए/5बी/8, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 4/25 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक, यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, तथापि उसका नाम सह-अभियुक्त के अभिस्वीकृति कथन में प्रकट किया गया है। सह-अभियुक्तगण जाकिर तथा मुस्तफा को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 23337 सन् 2024 तथा 23196 सन् 2024 में नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक प्रश्नगत वाहन का स्वामी नहीं है। 25 बैल बरामद किए गए, जिनमें से 24 जीवित थे तथा एक की मृत्यु हो गई थी। प्रश्नगत वाहन से कोई मांस बरामद नहीं हुआ। आवेदक का उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है और उस मामले के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर आवेदक के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम भी अधिरोपित किया गया है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा यह तर्क दिया है कि आवेदक बार-बार अपराध करने वाला व्यक्ति है और उसे जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6. वर्तमान मामले की विवेचना दिनांक 16.05.2024 से लंबित बताई गई है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है। आवेदक उस कंटेनर का स्वामी नहीं है, जो वध हेतु पशुओं को ले जा रहा था। सह-अभियुक्त के अभिस्वीकृति कथन के अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रतीत नहीं होता। सह-अभियुक्तगण जाकिर तथा मुस्तफा को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः **आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 23337 सन् 2024** तथा **23196 सन् 2024** में पहले ही नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-**फिरासत** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं समझा जाए।

24 अगस्त, 2026

सचिन

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

Translated Version, Not For Legal Use.